



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-26072023-247628
CG-DL-E-26072023-247628

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 437]
No. 437]

नई दिल्ली, बुधवार, जुलाई 26, 2023/श्रावण 4, 1945
NEW DELHI, WEDNESDAY, JULY 26, 2023/SHRAVANA 4, 1945

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 जुलाई, 2023

संख्या 46/2023-सीमाशुल्क

सा.का.नि. 557(अ).—सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उप धारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, इस बात से संतुष्ट होते हुए कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक है, एतद्वारा, निर्देश देती है कि नीचे दी गई सारणी के कॉलम (2) में यथा विनिर्दिष्ट भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की प्रत्येक अधिसूचनाओं को उक्त सारणी के कॉलम (3) की तत्संबंधी प्रविष्टि में यथा विनिर्दिष्ट तरीके से संशोधन किया जाएगा, यथा:-

क्र.सं. (1)	अधिसूचना संख्या और दिनांक (2)	संशोधन (3)
1.	अधिसूचना संख्या 45/2017-सीमा शुल्क, दिनांक 30 जून, 2017, सा.का.नि. 780(अ), दिनांक 30 जून, 2017	उक्त अधिसूचना में, (क) तालिका में, - (i) क्रम संख्या 1 के समक्ष, (l) कॉलम (2) में, मद (ड.) के बाद, निम्नलिखित मद अंतःस्थापित किये जाएंगे, अर्थात्: - "(च) रोडटेप (RoDTEP) के दावे के अधीन (छ) रॉसटल (RoSCTL) के दावे के अधीन";

		<p>(II) कॉलम (3) में, शब्द "माल के आयात के समय और स्थान पर उद्धृणीय एकीकृत कर और प्रतिपूर्ति उपकर की रकम" के बाद, शब्द ";निर्यात के समय निर्यातित उत्पादों पर शुल्कों और करों में छूट (RoDTEP) की अनुमत रकम; निर्यात के समय राज्य और केंद्रीय करों और लेवी (RoSCTL) की छूट की रकम" अंतःस्थापित किए जायेंगे;</p> <p>(ii) क्रम संख्या 3 के समक्ष, कॉलम (2) में, अंक और अक्षर "4क.20.1" के स्थान पर, अंक "4.51" प्रतिस्थापित किए जाएंगे;</p> <p>(ख) पहले परंतुक में "अध्याय 3 की कोई भी पारितोषिक स्कीम" शब्दों, जहां भी वे आते हैं, के स्थान पर "अध्याय 4 की कोई भी स्कीम" शब्दों को प्रतिस्थापित किया जाएगा;</p> <p>(ग) स्पष्टीकरण में, -</p> <p>(i) खंड (ख) के लिए, निम्नलिखित खंड प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्: - "(ख) "विदेश व्यापार नीति" से अभिप्राय, विदेश व्यापार नीति, 2023 से है जिसे वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दिनांक 31 मार्च, 2023 की अधिसूचना संख्या 1/2023, द्वारा का.आ. 1565 (अ) दिनांक 31 मार्च, 2023 के माध्यम से भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii) में प्रकाशित किया गया था।";</p> <p>(ii) खंड (ग) में,</p> <p>(I) मद (i), (iii), (iv), (v) और (viii) का लोप किया जाएगा।;</p> <p>(II) मद (ii) के स्थान पर, मद "द हेंडीक्राफ्ट एंड हेंडलूम्स एक्सपोर्ट्स कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड" को प्रतिस्थापित किया जाएगा।;</p> <p>(iii) खंड (घ) के बाद, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा अर्थात्:- "(ड.) "रोडटेप (RoDTEP)" से अभिप्राय विदेश व्यापार नीति के अध्याय 4 के अनुसार निर्यातित उत्पादों पर शुल्क और करों की छूट की योजना से है। (च) "रॉसटल (RoSCTL)" से अभिप्राय कपड़ा मंत्रालय द्वारा अधिसूचित निर्यात पर राज्य और केंद्रीय करों और लेवी की छूट की योजना से है।"।</p>
2.	<p>अधिसूचना संख्या 47/2017-सीमा शुल्क, दिनांक 30 जून, 2017, जी.एस.आर. 782(अ), दिनांक 30 जून, 2017</p>	<p>उक्त अधिसूचना में,</p> <p>(क) तालिका में, क्रम संख्या 1 के समक्ष, -</p> <p>(I) कॉलम (2) में, मद (ड.) के बाद, निम्नलिखित मद अंतःस्थापित किये जाएंगे, अर्थात्: - "(च) रोडटेप (RoDTEP) के दावे के अधीन (छ) रॉसटल (RoSCTL) के दावे के अधीन";</p> <p>(II) कॉलम (3) में, शब्द "माल के आयात के समय और स्थान पर उद्धृणीय उत्पाद शुल्क की रकम" के बाद, शब्द ";निर्यात के समय निर्यातित उत्पादों पर शुल्कों और करों में छूट (RoDTEP) की अनुमत रकम; निर्यात के समय राज्य और केंद्रीय करों और लेवी (RoSCTL) की छूट की रकम" अंतःस्थापित किए जायेंगे;</p> <p>(ख) पहले परंतुक में, शब्द "अध्याय 3 की किसी पुरस्कार स्कीम" के स्थान पर, सभी स्थानों पर जहां वे आते हैं, शब्द "अध्याय 4 की कोई भी स्कीम" प्रतिस्थापित किए जाएंगे;</p> <p>(ग) स्पष्टीकरण में, -</p> <p>(i) खंड (ख) के लिए, निम्नलिखित खंड प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्: - "(ख) "विदेश व्यापार नीति" से अभिप्राय, विदेश व्यापार नीति, 2023 से है जिसे वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दिनांक 31 मार्च,</p>

		<p>2023 की अधिसूचना संख्या 1/2023, द्वारा का.आ. 1565 (अ) दिनांक 31 मार्च, 2023 के माध्यम से भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii) में प्रकाशित किया गया था।";</p> <p>(ii) खंड (ख) के बाद, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा; अर्थात्:- "(ग) "रोडटेप (RoDTEP)" से अभिप्राय विदेश व्यापार नीति के अध्याय 4 के अनुसार निर्यातित उत्पादों पर शुल्क और करों की छूट की योजना से है। (घ) "रॉसटल (RoSCTL)" से अभिप्राय कपड़ा मंत्रालय द्वारा अधिसूचित निर्यात पर राज्य और केंद्रीय करों और लेवी की छूट की योजना से है।" ।</p>																				
3.	अधिसूचना संख्या 50/2017-सीमा शुल्क, दिनांक 30 जून, 2017 [जी.एस.आर. 785 (अ), दिनांक 30 जून, 2017]	<p>उक्त अधिसूचना में, -</p> <p>(क) तालिका में,</p> <p>(i) क्रमांक 167क के सामने, कॉलम (5) में, प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि "शून्य" प्रतिस्थापित की जाएगी;</p> <p>(ii) क्रम संख्या 359क और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्: -</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>(1)</th> <th>(2)</th> <th>(3)</th> <th>(4)</th> <th>(5)</th> <th>(6)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>"359क.</td> <td>71</td> <td>निम्नलिखित वस्तुओं:- (क) सूची 34क में निर्दिष्ट बैंको द्वारा सोने या चांदी या दोनों का आयात; (ख) सूची 34ख में निर्दिष्ट बैंको द्वारा सोने का आयात; (ग) सूची 34ग में निर्दिष्ट संस्थाओं द्वारा सोना/चांदी/प्लेटिनम का आयात</td> <td>-</td> <td>शून्य</td> <td>-";</td> </tr> </tbody> </table> <p>(iii) क्रम संख्या 607 के समक्ष, मद (ग) के पश्चात निम्नलिखित मद और प्रविष्टियों को अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>(3)</th> <th>(4)</th> <th>(5)</th> <th>(6)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>" (घ) डिनूटुक्सिमाब दवा (क्वार्जिवा), जिसका उपयोग कैंसर के उपचार में किया जाता है</td> <td>शून्य</td> <td>शून्य</td> <td>16";</td> </tr> </tbody> </table> <p>(iv) क्रमांक 607 ख के सामने, कॉलम (5) में, प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि "शून्य" प्रतिस्थापित की जाएगी;</p> <p>(I). अनुलग्नक में, सूची 34 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित सूचियाँ और प्रविष्टियाँ प्रतिस्थापित की जाएंगी, अर्थात्: "सूची 34 क (तालिका का क्रमांक 359क देखें) 1. बैंक ऑफ इंडिया 2. बैंक ऑफ नोवा स्कोटिया 3. कॉर्पोरेशन बैंक 4. द एचडीएफसी बैंक लिमिटेड 5. आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड</p>	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	"359क.	71	निम्नलिखित वस्तुओं:- (क) सूची 34क में निर्दिष्ट बैंको द्वारा सोने या चांदी या दोनों का आयात; (ख) सूची 34ख में निर्दिष्ट बैंको द्वारा सोने का आयात; (ग) सूची 34ग में निर्दिष्ट संस्थाओं द्वारा सोना/चांदी/प्लेटिनम का आयात	-	शून्य	-";	(3)	(4)	(5)	(6)	" (घ) डिनूटुक्सिमाब दवा (क्वार्जिवा), जिसका उपयोग कैंसर के उपचार में किया जाता है	शून्य	शून्य	16";
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)																	
"359क.	71	निम्नलिखित वस्तुओं:- (क) सूची 34क में निर्दिष्ट बैंको द्वारा सोने या चांदी या दोनों का आयात; (ख) सूची 34ख में निर्दिष्ट बैंको द्वारा सोने का आयात; (ग) सूची 34ग में निर्दिष्ट संस्थाओं द्वारा सोना/चांदी/प्लेटिनम का आयात	-	शून्य	-";																	
(3)	(4)	(5)	(6)																			
" (घ) डिनूटुक्सिमाब दवा (क्वार्जिवा), जिसका उपयोग कैंसर के उपचार में किया जाता है	शून्य	शून्य	16";																			

		<p>6. इंडियन ओवरसीज बैंक 7. इंडसलैंड बैंक लिमिटेड 8. कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड 9. पंजाब नेशनल बैंक 10. भारतीय स्टेट बैंक 11. यूनियन बैंक ऑफ इंडिया 12. यस बैंक लिमिटेड 13. आरबीएल बैंक 14. चीनी औद्योगिक और वाणिज्यिक बैंक</p> <p>सूची 34 ख (तालिका का क्रमांक 359क देखें)</p> <p>1. बैंक ऑफ बड़ौदा 2. द फेडरल बैंक लिमिटेड</p> <p>सूची 34ग (तालिका का क्रमांक 359क देखें)</p> <p>1. भारतीय हस्तशिल्प और हथकरघा निर्यात निगम लिमिटेड 2. एमएसटीसी लिमिटेड 3. डायमंड इंडिया लिमिटेड।</p>
--	--	--

2. यह अधिसूचना दिनांक 27 जुलाई, 2023 से लागू होगी।

[फा. सं. 190354/133/2023-टि आर यु]

विक्रम विजय वानेरे, अवर सचिव

नोट:-

1. प्रधान अधिसूचना संख्या 45/2017-सीमा शुल्क, दिनांक 30 जून, 2017 को सा.का.नि. 780(अ), दिनांक 30 जून, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खंड 3, उप खंड (i) में प्रकाशित किया गया था और इसमें अंतिम बार अधिसूचना संख्या 36/2021-सीमा शुल्क, दिनांक 19 जुलाई, 2021, जिसे सा.का.नि. 493 (अ), दिनांक 19 जुलाई, 2021 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खंड 3, उप खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, के द्वारा संशोधन किया गया है।
2. प्रधान अधिसूचना संख्या 47/2017-सीमा शुल्क, दिनांक 30 जून, 2017 को सा.का.नि. 782(अ), दिनांक 30 जून, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खंड 3, उप खंड (i) में प्रकाशित किया गया था।
3. प्रधान अधिसूचना संख्या 50/2017-सीमा शुल्क, दिनांक 30 जून, 2017 को सा.का.नि. 785(अ), दिनांक 30 जून, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खंड 3, उप खंड (i) में प्रकाशित किया गया था और इसमें अंतिम बार अधिसूचना संख्या 44/2023-सीमा शुल्क, दिनांक 1 जुलाई, 2023, जिसे सा.का.नि. 474 (अ), दिनांक 1 जुलाई, 2023 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खंड 3, उप खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, के द्वारा संशोधन किया गया है।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 26th July, 2023

No. 46/2023-Customs

G.S.R. 557(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government, on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby makes further amendments in the following notifications of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), specified in column (2) of the Table below, to the extent and in the manner specified in the corresponding entry in column (3) of the said Table, namely: -

Sl. No.	Notification number and date	Amendments
(1)	(2)	(3)
1.	Notification No. 45/2017 -Customs, dated the 30 th June, 2017, G.S.R. 780(E), dated the 30 th June, 2017	<p>In the said notification,</p> <p>(A.) in the TABLE, -</p> <p>(i) against Sl. No. 1,</p> <p>(I) in column (2), after item (e), the following items shall be inserted, namely: -</p> <p>“(f) under claim for RoDTEP</p> <p>(g) under claim for RoSCTL”;</p> <p>(II) in column (3), after the words “amount of integrated tax and compensation cess leviable at the time and place of importation of goods”, the words “; amount of Remission of Duties and Taxes on Exported Products (RoDTEP) allowed at the time of export; amount of Rebate of State and Central Taxes and Levies (RoSCTL) allowed at the time of export” shall be inserted;</p> <p>(ii) against Sl. No. 3, in column (2), for the figures and letter “4A.20.1”, the figures “4.51” shall be substituted;</p> <p>(B.) in the first proviso for the words “any reward scheme of Chapter 3”, wherever they occur, the words “any scheme of Chapter 4” shall be substituted;</p> <p>(C.) in the <i>Explanation</i>, -</p> <p>(i) for clause (b), the following clause shall be substituted, namely: —</p> <p>“(b) “Foreign Trade Policy” means the Foreign Trade Policy, 2023, notified by the Government of India in the Ministry of Commerce and Industry <i>vide</i> notification No. 1/2023 dated the 31st March, 2023, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-Section (ii) <i>vide</i> S.O. 1565 (E). dated the 31st March, 2023;”</p> <p>(ii) in clause (c),</p> <p>(I) the items (i) , (iii), (iv), (v) and (viii) shall be omitted;</p> <p>(II) for the item (ii), the item “The Handicraft and Handlooms Exports Corporation of India Ltd” shall be substituted;</p> <p>(iii) after clause (d), the following clauses shall be inserted namely: -</p> <p>“(e) “RoDTEP” means the Scheme for Remission of Duties and Taxes on Exported Products as per chapter 4 of Foreign Trade Policy.</p> <p>(f) “RoSCTL” means the Scheme for Rebate of State and Central Taxes and Levies as notified by the Ministry of Textiles.”</p>
2.	Notification No. 47/2017 -Customs, dated the 30 th June, 2017,	<p>In the said notification,</p> <p>(A.) in the TABLE, against Sl. No. 1,</p> <p>(i) in column (2), after item (e), the following items shall be inserted, namely: -</p>

	G.S.R. 782(E), dated the 30 th June, 2017	<p>“(f) under claim for RoDTEP (g) under claim for RoSCTL”;</p> <p>(ii) in column (3), after the words “amount of excise duty leviable at the time and place of importation of goods”, the words “; amount of Remission of Duties and Taxes on Exported Products (RoDTEP) allowed at the time of export; amount of Rebate of State and Central Taxes and Levies (RoSCTL) allowed at the time of export” shall be inserted;</p> <p>(B.) in the first proviso, for the words “any reward scheme of Chapter 3”, at both places where they occur, the words “any scheme of Chapter 4” shall be substituted;</p> <p>(C.) in the Explanation,</p> <p>(i) for clause (b), the following clause shall be substituted, namely: —</p> <p>“(b) “Foreign Trade Policy” means the Foreign Trade Policy, 2023, notified by the Government of India in the Ministry of Commerce and Industry <i>vide</i> notification No. 1/2023 dated the 31st March, 2023, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-Section (ii) <i>vide</i> S.O. 1565 (E). dated the 31st March, 2023;”</p> <p>(ii) after clause (b), the following clauses shall be inserted namely: -</p> <p>“(c) “RoDTEP” means the Scheme for Remission of Duties and Taxes on Exported Products as per chapter 4 of Foreign Trade Policy.</p> <p>(d) “RoSCTL” means the Scheme for Rebate of State and Central Taxes and Levies as notified by the Ministry of Textiles.”</p>																				
3.	Notification No. 50/2017 -Customs, dated the 30 th June, 2017 [G.S.R. 785 (E), dated the 30 th June, 2017]	<p>In the said notification, -</p> <p>(A.) In the Table,</p> <p>(i) against S. No. 167A, in column (5), for the entry, the entry “Nil” shall be substituted;</p> <p>(ii) for S. No. 359A and the entries relating thereto, the following S. No. and entries shall be substituted, namely: -</p> <table border="1" data-bbox="496 1328 1353 1641"> <thead> <tr> <th>(1)</th> <th>(2)</th> <th>(3)</th> <th>(4)</th> <th>(5)</th> <th>(6)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>“359A.</td> <td>71</td> <td>Import of - (a) Gold or Silver or both by banks as per List 34A; (b) Gold by banks as per List 34B; (c) Gold/Silver/ Platinum by entities as per List 34C</td> <td>-</td> <td>NIL</td> <td>-“;</td> </tr> </tbody> </table> <p>(iii) against S. No. 607, after clause (c) and the entries relating thereto, the following clause and entries shall be inserted, namely: -</p> <table border="1" data-bbox="512 1742 1329 1854"> <thead> <tr> <th>(3)</th> <th>(4)</th> <th>(5)</th> <th>(6)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>“(d) Medicine Dinutuximab (Quarziba), used in the treatment of Cancer</td> <td>Nil</td> <td>Nil</td> <td>16”;</td> </tr> </tbody> </table> <p>(iv) against S. No. 607B, in column (5), for the entry, the entry “Nil” shall be substituted;</p> <p>(B.) In the Annexure, for List 34 and the entries relating thereto, the following lists and entries shall be substituted, namely: -</p>	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	“359A.	71	Import of - (a) Gold or Silver or both by banks as per List 34A; (b) Gold by banks as per List 34B; (c) Gold/Silver/ Platinum by entities as per List 34C	-	NIL	-“;	(3)	(4)	(5)	(6)	“(d) Medicine Dinutuximab (Quarziba), used in the treatment of Cancer	Nil	Nil	16”;
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)																	
“359A.	71	Import of - (a) Gold or Silver or both by banks as per List 34A; (b) Gold by banks as per List 34B; (c) Gold/Silver/ Platinum by entities as per List 34C	-	NIL	-“;																	
(3)	(4)	(5)	(6)																			
“(d) Medicine Dinutuximab (Quarziba), used in the treatment of Cancer	Nil	Nil	16”;																			

		<p>“List 34A (See S. No. 359A of the Table)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bank of India 2. Bank of Nova Scotia 3. Corporation Bank 4. The HDFC Bank Ltd 5. ICICI Bank Ltd 6. Indian Overseas Bank 7. IndusInd Bank Ltd 8. Kotak Mahindra Bank Ltd 9. Punjab National Bank 10. State Bank of India 11. Union Bank of India 12. Yes Bank Limited 13. RBL Bank 14. Industrial and Commercial Bank of China <p>List 34B (See S. No. 359A of the Table)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bank of Baroda 2. The Federal Bank Ltd <p>List 34C (See S. No. 359A of the Table)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. The Handicraft and Handlooms Exports Corporation of India Ltd 2. MSTC Ltd 3. Diamond India Limited”.
--	--	---

2. This notification shall come into effect on the 27th July, 2023.

[F. No. 190354/133/2023-TRU]

VIKRAM VIJAY WANERE, Under Secy.

Note:

1. The principal notification No. **45/2017**-Customs dated the 30th June, 2017 was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R.780(E), dated the 30th June, 2017 and was last amended by notification No.**36/2021**-Customs dated the 19th July, 2021 that was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R.493(E), dated the 19th July, 2021.
2. The principal notification No. **47/2017**-Customs dated the 30th June, 2017 was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R.782(E), dated the 30th June, 2017.
3. The principal notification No.**50/2017**-Customs dated the 30th June, 2017 was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R.785(E), dated the 30th June, 2017 and was last amended by notification No. **44/2023** -Customs dated the 1st July, 2023 that was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R.474(E), dated the 1st July, 2023.